बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २६ अप्रील १९५६ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

श्री कामेश्वर शर्मा, सहायक शिक्षक, के विरुद्ध कार्रवाई।

*५३२। श्री रामचरण सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८७, ता० २२ फरवरी १९५६ के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया था कि श्री कामेश्वर शर्मा, शकूराबाद हाई इंगलिश स्कूल, जिला गया के सहायक शिक्षक और कुर्था थाना कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया था कि कोई भी शिक्षक किसी पब्लिक संस्था का पदाधिकारी नहीं रह सकता है और श्री कामेश्वर शर्मा पर उचित कार्रवाई करने के लिये उक्त स्कूल की मैनेजिंग कमिटी को लिखा गया है;

(३) क्या यह बात सही है कि अभी तक श्री कामेश्वर शर्मा के ऊपर मैनेजिंग कमिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभी तक उक्त शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण है तथा सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है;

(५) मैनेजिंग-कमिटी के पास उचित कार्रवाई करने के लिये सरकार के शिक्षा विभागीय अधिकारी ने किस तारीख को पत्र भेजा तथा उस भेजे गये पत्र की संख्या क्या है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) उत्तर हां है।

(२) उत्तर हां है।

(३) उत्तर हां है।

(४) प्रबंधकारिणी समिति की कोई बैठक १५ फरवरी १९५६ के बाद नहीं हुई है। इसलिए शिक्षक अभी तक नहीं हटाए जा सके हैं। यदि कमिटी इनको नहीं हटायेगी तो स्कूल की स्वीकृति हटा ली जायेगी।

(५) स्कूल निरीक्षक, पटना प्रमंडल के पत्र संख्या ४६२, दिनांक २१ फरवरी १९५६ को स्कूल के मंत्री के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया।

---

*प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री शिव भजन सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक।

Legislative Business : Official Bill।

बिहार कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेन्टेशन बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ३५)।

THE BIHAR CONSOLIDATION OF HOLDINGS AND PREVENTION OF FRAGMENTATION BILL, 1955 (BILL NO. 35 OF 1955).

श्री जगन्नाथ महतो—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि छोटानागपुर की जमीन कई प्रकार की है।

श्री रामनारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया है उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष—उस पर मैं विचार कर रहा हूं कि उसे मंजर करूं या नहीं ?

श्री जगन्नाथ महतो—छोटानागपुर की जमीन कई प्रकार की है और हर किस्म की जमीन में पैदावार अलग-अलग होती है। कहीं २० मन तो कहीं १५ मन पैदावार होती है। इसलिए हमको सोचना है कि जब हम कंसोलिडेशन करने जा रहे है तो कहां कितनी जमीन का कंसोलिडेशन किया जाय। मैं यह कह रहा हूं कि हमारे जिले में एक तरह की जमीन नहीं है।

अध्यक्ष—किसी जिले में एक तरह की जमीन नहीं है जिस तरह आपके जिले में बहुत-सी अच्छी और खराब जमीन है उसी तरह दूसरे जिले में भी है।

श्री जगन्नाथ महतो—मेरे कहने का मतलब यह है कि चकबन्दी होने के बाद मेरी जमीन किस तरह मुझे मिलेगी। चकबन्दी से बहुतों को नुकसान और बहुतों को फायदा होगा। छोटानागपुर और संथाल परगना में चकबन्दी......

अध्यक्ष—जमीन तो जरूर मिलेगी। लेकिन यहां मिलेगी या वहां यह ठीक नहीं कहा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ महतो—छोटानागपुर और संथाल परगना में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष—श्री हरमन लकड़ा ने तो साफ तरह से कहा कि अगर सिंचाई करते हैं तो कंसोलिडेशन करें और अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो कंसोलिडेशन करना बेकार है।

श्री जगन्नाथ महतो—हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे यहां समतल जमीन नहीं है। रिक्लेम्ड लैंड और पैसचर लैंड को भी आप चकबन्दी में शामिल कर रहे हैं। और जो जमीन पब्लिक परपस के लिये हैं और जिसमें मान लीजिए एक गाछ

है तो उस गाछ की डाल को आम तौर से लोग नहीं काटते हैं। केवल रेलिजस कामों के समय ऐसे पेड़ों की डाल काटे जाते हैं और वहीं पर उस पेड़ के नीचे रिलिजस फंक्शन हुआ करता है।

अध्यक्ष—तो गोया आपके कहने का मतलब यह है कि उस जमीन पर पेड़ का होना जरूरी है और यदि आपको कोई दूसरी जमीन दी जाय तो वहां भी पेड़ का रहना जरूरी है और नहीं तो आप दूसरी जमीन न लेंगे।

श्री जगन्नाथ महतो—जी नहीं। पूजा के लिये जो जमीन है उसको छोड़कर दूसरी जमीन में पूजा नहीं हो सकती है। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद तथा पूजा के जो स्थान हैं उन्हें कंसोलिडेशन में शामिल नहीं करना चाहिये।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—ऐसी जमीनों को हम छोड़ देंगे।

श्री भोलानाथ भगत—अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत अच्छी चीज है इस ख्याल से कि इसमें यह कहा गया है कि "the land will be re-arranged in such a way as to form a compact area".

जहां जमीन के टुकड़े हैं उसको जहां तक संभव हो सके एक जगह रखा जाय या चकबन्दी किया जाय। हमारे मित्र, श्री हरमन लकड़ा, जो कल्ह कह गये तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि जहां के वे हैं वहीं के हम हैं, जहां के पानी वे पीते हैं वहीं का मैं भी पीता हूं, जहां की हवा का सेवन वे करते हैं वहीं मैं भी करता हूं आज से नहीं बल्कि सैकड़ो वर्षों से। हमलोगों को भी वैसा ही अनुभव है जैसा उनको है मगर वे कृषि विशेषज्ञ हैं। हमारे मित्र को यह कैसे पता चला कि छोटानागपुर में चकबन्दी यूसफुल नहीं होगी? हम तो कहते हैं उस इलाके में चकबन्दी खूब यूजफुल होगी। छोटानागपुर में ७ किस्म की जमीन हैं जो रेकर्ड-ऑफ-राइट में दर्ज हैं जैसे डोन १, डोन २, डोन ३, टांड १, टांड २, टांड ३ और परतीकदीम। इन जमीनों को एक्सचेंज करने में आसानी होगी। जिस तरह से वहां जमीन को क्लासिफाई करके ७ किसम में बांट दिया गया है वैसा और जगह नहीं है। एक ही होल्डिंग में डोन १, डोन २ और डोन ३ और टांड भी हैं भले ही वह होल्डिंग एक एकड़ या दो एकड़ की हो। लेकिन हम कहते हैं कि हर तरह की जमीन होने के कारण चकबन्दी में सुविधा होगी। छोटी-सी होल्डिंग है जैसे एक या दो एकड़ की। उसमें ६, ७ तरह की जमीन होगी इसलिए कि टोपोग्राफिकल पोजीशन इस तरह की है कि १०, १५ डिस्मल जमीन ऐसी होगी जो धान के लायक हो तो उसके पास की जमीन दूसरी तरह की होगी; यानी इधर की तरह समतल भूमि नहीं है। बहुधा धान-खेत के कुछ ही दूर में एकही होल्डिंग में टांड भी है। इसलिए एक होल्डिंग में भी कई तरह की जमीन का क्लासीफीकेशन है। तो एक्सचेंज करके खेती करने में बहुत सुविधा होगी। हालांकि इसको करने में बहुत समय लगेगा, यह लौंग और इभोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। लेकिन यह एक अच्छी चीज होगी। और मैं हुजूर, यह आप से कहना चाहता हूं कि हमलोगों ने नन-ऑफीश्यल तरीके पर कम्यूनीटी प्रॉजेक्ट एरिया में कुछ काम किया है हालांकि कामयाब नहीं रहे; लेकिन यह कहना कि लड़ाई होगी जैसा कि उन्होंने अभी कहा सही नहीं है।

अध्यक्ष—आप ने कहा कि कम्यूनिटी प्राजेक्ट एरिया में आप ने काम किया लेकिन असफल रहे। (हंसी।)

श्री भोला नाथ भगत—कमिश्नर साहब जो चेयरमैन थे उनको हमलोगों ने सजेशन दिया कि जब तक कानूनन इस चीज को कुछ हद तक कम्पल्सरी नहीं किया जायगा तबतक काम्यावी नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष—व्हलंटरी बेसिस पर, स्वेच्छा से लोग इसको करने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए आप ने राय दे दी कि कानून बनाकर जबरदस्ती इसको किया जाय।

श्री भोलानाथ भगत—नहीं, कानून भी रहे और स्वेच्छा भी तभी कामयाबी मिलेगी। तो जैसा मैं कह रहा था एक होल्डिंग में तरह-तरह की खेती हो सकती है।

अध्यक्ष—जितने किसान हैं उनके हक के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनको जो इससे फायदा होगा उसको समझाकर कंसोलिडेशन नहीं कीजियगा तो कैसे यह किया जा सकता है?

श्री भोलानाथ भगत—हम हुजूर, एक व्यवहारिक मिसाल देते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ जमीन बिल्कुल यों ही छोड़ दी जाती है क्योंकि जंगली जानवर वगैरह फसल बरबाद कर देते हैं और जो कल्टीव्हेशन का खर्च होता है वह भी नहीं आता है और उसकी जगह एक जगह चकबन्दी करके जमीन मिले तो खेती करने में काफी सुविधा होगी। खर्च कम होगा, रखवारी आसान होगी। कोआर्डिनेशन करके खेती होनी चाहिए; यानी कुछ एरिया में सीरील रहे तो कुछ में कैश क्रौप रहे और कुछ में डेयरी फार्मिंग हो। इस तरह १०, ५ एकड़ की एक कम्पैक्ट एरिया रहने से छोटा-नागपुर में खासकर यह योजना लाभदायक होगी, एकही होल्डिंग में कुछ फसल की जमीन है बीच में तो पास ही २० गज उसमें ऐसी जमीन है कि जहां डेयरी फार्मिंग वगैरह की जा सकती है, या घास वगैरह उपजायी जा सकती है और कुछ ही दूर में पलड़ा, बगीचा वगैरह में लाह ऐसा कीमती कैश क्रौप उपजाया जा सकता है। इसलिए अगर चकबन्दी वहां हुई तो बहुत फायदेमंद वहां के लिए साबित होगी। एकही होल्डिंग में भिन्न-भिन्न चीज पैदा कर फायदा उठाया जा सकता है पर बिहार के प्लेन जमीन में जहां बहुत दूर तक पानी जमा हो या प्लेन हो भिन्न-भिन्न खेती नहीं हो सकती।

दूसरी बात कुछ गलत कही गई है पूजा-पाठ के बारे में, जैसे सरना के बारे में और दूसरी पूजा की जगह में। हर एक गांव में सरना होता है। उसमें जो लकड़ी होती है उसको कोई नहीं काटता है; पाहन काटता है पाहन वहां पूजा करता है। वह पब्लिक लैंड है और वह रिजर्व्हेड् एरिया से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो उसको तो एक्सचेंज करने की बात ही नहीं है। इसके अलावे हमारे मित्र कल कहते थे कि हर एक जमीन में पूजा होती है। हम लोग भी पूजा करते हैं, खेती शुरू करने के वक्त और खेत से फसल काटने के वक्त यह पूजा बहुधा पाहन करता है। लेकिन यह बात खास कोई नहीं है कि दूसरी जगह पूजा नहीं करेंगे, एकही जगह पूजा हो। जहां हमने खेत खरीद लिया और एक आदमी के हाथ से जमीन निकल गयी तब वह

कहां पूजा करेगा। यहां जो जमीन ले लिया वही उस जमीन में पाहन के जरिये पूजा करायगा। यही होता है। जैसा उन्होंने कहा मुर्गी या सूअर या भेड़ा को काट कर पूजा करते हैं। तो जमीन ट्रांसफर होने से हमारे रेलिजस सेंटीमेंट को इससे धक्का लगे ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितनी कांसोलिडेशन की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा छोटानागपुर में जरूरत है क्योंकि यहां तो आधी मील पर आप का खेत है और उसमें कोई गाय या बैल फसल बरबाद कर रहा है तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन वहां आप २५ गज की दूरी पर भी नहीं देख सकते हैं किसी गाय या बैल को क्योंकि जमीन समतल नहीं है। इसलिए जितनी ही कम्पैक्ट एरिया होगी उतनी ही ठीक से छोटानागपुर में खेती हो सकती है। इस लिए मेरे विचार से यह वहां ज्यादा कामयाब होगा।

श्री बलिया भगत—अध्यक्ष महोदय, हमारे छोटानागपुर में चकबन्दी करने से गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि छोटानागपुर में हर एक गांव में ४ तरह की जमीन है, नं० १, नं० २, नं० ३ और नं० ४। प्रत्येक रैयत को १ नं० की जमीन केवल २ आने ही तक होती है और बाकी जमीन और तरह की होती है। चकबन्दी होने से यह १४ आना किस तरह २ आने के साथ बदले में ली वो दी जायगी? इस तरह चकबन्दी होगी तो लोगों को इससे गुंजाइश नहीं होगी। किसी-किसी के हिस्से में केवल ४ ही नम्बर की जमीन पड़ जायगी और किसी-किसी के हिस्से में ३ या २ नम्बर की जमीन ही पड़ जायगी।

अध्यक्ष—क्या ४ नम्बर की जमीन में कुछ काम और मिहनत करने से यह नहीं हो सकता कि उसको १ नम्बर के बराबर बना दिया जाय?

श्री बलिया भगत—नहीं, यह किसी हिसाब से नहीं हो सकता है।

मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता जिसमें किसी तरह की गलती हो और लोगों पर आफत आवे। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप वहां पर एक कमीशन भेज कर इस बात की जांच करवा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वहां पर आप पटवन का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। जब बिजली का पूरा इन्तजाम हो जायगा तो आप चकबन्दी सम्बन्ध कुछ काम कर सकते हैं और तब इस कानून को वहां पर लागू कर सकते हैं। अगर इसके पहले इस कानून को वहां पर लागू कीजियेगा तो यह आपका नाजायज काम मानना होगा। तना ही कह कर अब मैं खतम करता हूँ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने श्री हरमन लकड़ा का यह प्रस्ताव है कि चकबन्दी के लिये जो कानून बन रहा है उससे छोटानागपुर और संताल परगना के एरिया को अलग रखा जाय। इसके बारे में पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून का यह मतलब नहीं है कि इसके पास होते ही सारे सूबे के हरएक कोने में लागू किया जायगा। इस कानून को लागू करने के लिये एक बड़े पैमाने पर सरकारी संगठन की आवश्यकता होगी और तभी चकबन्दी की योजना लागू हो सकती है। अभी हमारे दोस्तों ने यह जो कहा है कि इसके पास होते ही यह छोटानागपुर में लागू हो जायगा ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि वहां पर बहुत-सी ऐसी जगहें हैं जहां पर यह कानून लागू नहीं हो सकता है लेकिन मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि सारे छोटानागपुर में यह कानून लागू न हो सकता

है। छोटानागपुर में मानभूम भी शामिल हैं, हजारीबाग भी शामिल है। वहां पर इस कानून को लागू करने के लिये काफी जमीन है। इसके अलावे पलामू, मुंगेर और गया में जैसी जमीन है वैसी जमीन छोटानागपुर के भी इलाके में और इन जिलों से सटे हुए इलाके में भी है जहां पर यह कानून लागू हो सकता है। अपने दोस्तों के इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि छोटानागपुर के सारे इलाके में पहाड़ी जमीन है। डालभूम और घाटशिला में भी वैसी जमीन है जैसी जमीन यहां पर या बिहार के दूसरे इलाके में है जहां पर यह कानून लागू हो सकता है। छोटानागपुर का हरएक क्षेत्र पहाड़ी है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून के पास होने से ही सारे सूबे में यह कानून लागू नहीं हो जायगा। जबरदस्ती भी कहीं पर हम इस कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावे किसी धार्मिक काम के लिये अगर कोई जमीन किसी को दे दी गयी है तो वह जमीन भी नहीं ली जायगी। पाहन के लिये जो जमीन मुकर्रर है उसको हम नहीं लेंगे। एक पाहन की जमीन उसके बाद दूसरे पाहन के नाम चली जायगी। इसी तरह से सरना के लिये जो जमीन निकाली हुई है वह भी नहीं ली जायगी। जिस तरह से मन्दिर को नहीं लिया जाता है उसी तरह से हम सरना की जमीन को भी नहीं लेंगे। हम मन्दिर को उठा कर दूसरी जमीन पर नहीं ले जा सकते हैं उसी तरह से सरना की जमीन को भी हम दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। जो जमीन इसके लिये है उसी जगह पर वह रहेगी। इसलिये पटना, या छोटानागपुर डिवीजन में धार्मिक जगह चकबन्दी के इलाके में नहीं लिये जायंगे। अभी हाल ही में डी० वी० सी० कुछ मन्दिरों की जमीन को नहीं ले सका है उसी तरह से हम चकबन्दी करते हुए सरना की जमीन को नहीं लेंगे। अगर जरूरत होगी तो हम इसके लिये एक्सक्युटिव इन्स्ट्रक्शन जारी करेंगे।

इसके बाद यह सवाल है कि छोटानागपुर की पथरीली जमीन में चकबन्दी का काम हो सकता या नहीं और इसके खिलाफ हमारे दोस्तों ने जो दलील दी है वह मेरी समझ में नहीं आयी है। मान लीजिये कि किसी गांव के नजदीक किसी की ४ बीघे जमीन मकई की है और गांव से एक या डेढ़ मील की दूरी पर एक या डेढ़ कट्ठा जमीन धान की हो, धनखेती गांव से एक या डेढ़ मील की दूरी पर अमूमन होती है, तो मेरे जानते वह आदमी आसानी से १ या डेढ़ कट्ठा धनखेती के लिये तीन या ४ कट्ठा मकई का खेत लेने के लिये तैयार हो जायगा। उसको इस धनखेती को करने में ज्यादा खर्च पड़ता होगा और रात को खेत सूअर द्वारा चर जाने का हमेशे भय बना रहता होगा। फसल को काट कर खलिहान में लाने में उसको दिक्कत होती होगी और दूरी की वजह से खेती करने में खर्च भी ज्यादा होता होगा। अभी वहां पर बहुत से टांड़ जमीन है लेकिन वहां के लोग हरएक साल २ या ४ कट्ठा जमीन को आबाद करके धान का खेत बनाते जा रहे हैं। चूंकि छोटानागपुर की जमीन पथरीली है इसलिये वहां पर चकबन्दी का काम नहीं हो सकता है, इस बात को हम मानने के लिये तैयार नहीं है।

मैंने तो कहा कि हम यह एक इनएबलिंग लेजिस्लेशन बना रहे हैं। इस कानून को हम किसी पर लाद नहीं रहे हैं। अगर किसी स्थान की जनता चकबन्दी के लिए तैयार हो जायगी तो हम वहां चकबन्दी का काम कर देंगे और अगर किसी स्थान की सभी जनता कह देगी कि हमलोग चकबन्दी नहीं चाहते हैं तो वहां पर चकबन्दी नहीं

की जायगी। इस कानून के द्वारा चकबन्दी किसी पर लादने की बात नहीं है और इसको माननीय सदस्यों को खतरे वाली बात नहीं समझना चाहिए। मेरा इतना जवाब सुनने के बाद श्री हरमन लकड़ा अपने संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

*श्री हरमन लकड़ा—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कल कहा था कि मैं इस लैंड कंसोलिडेशन के प्रिन्सिपुल के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं सेन्ट परसेन्ट इसके सिद्धान्त से सहमत हूँ। मैंने अपनी दलील में रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को समझाने की कोशिश की थी। मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि क्यों यह कानून छोटानागपुर और संथाल परगना में इम्प्रैक्टिकेबुल है। मैं मानता हूँ कि वे भी इस बात को कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन पूरा नहीं मानते हैं। हो सकता है कि १० प्रतिशत जमीन पर यह कानून लागू नहीं हो। इसलिए तो मैंने कहा कि जहां पर जैसी सुविधा हो उसके मुताबिक वहां के लिए कानून बनाइये।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने तो कहा कि यह इनएबलिंग लौ बनाया जा रहा है।

श्री हरमन लकड़ा—आप स्पेसीफाइ कर दीजिए।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आप ही कर दीजिए तो अच्छा है।

श्री हरमन लकड़ा—मैंने कल लम्बी चौड़ी बातें कहकर उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अभी तक समझ नहीं पाये हैं। मेरा कहना था कि जितनी भी अच्छी जमीन गरीबों की होगी यानी १ नं० की, सभी जमीन बड़े-बड़े लैंड होल्डर्स को मिल जायगी। श्री भोलानाथ भगत, जो मेरी बातों का विरोध करते हैं, वे भी इस बात को मानते हैं कि छोटानागपुर में सात किस्म की जमीन है। इसका नतीजा यह होगा कि १ नं० की जमीन १ नं० में ले ली जायगी और २ नं० की जमीन २ नं० और इसी प्रकार से जिस नं० की जमीन होगी वे सब उसी नं० में मिला दी जायगी। श्री भोलानाथ भगत ने यह कहा कि वे लोग पूजा करते हैं, लेकिन वे ठीक नहीं जानते हैं कि वे किसकी पूजा करते हैं। वे लोग वाहन की पूजा करते हैं। मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह कानून के लागू होने से जिनके पास कम जमीन है वे लैंडलेस हो जायेंगे और उनको जमीन छोड़ देनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि छोटानागपुर के आदिवासी लोग किस सेन्टीमेंट से काम लेते हैं। वे चाहते हैं कि अगर वे नौकरी करने चले जायें या योरोप चले जायें, फिर भी उनकी जमीन कायम रहे और वह उनसे अलग न की जाय।

जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया उस वक्त लोसिनियां को अमेरिकन रिपब्लिक के हाथ बेच दिया। किस आशा से बेच दिया, वह आशा यह थी कि उन्होंने अमेरिकन को लिखा कि—

"The American will be grateful and will give him a little bit of land and a house, where I may spend the last days of my life in peace and quiet."

जब नेपोलियन ने आखिरी अवस्था में सोचा कि एक टुकड़ा जमीन भी अगर अमेरिकन रिपब्लिक दे दे तो इस बुढ़ापे की जिन्दगी आनन्द से बिताऊँ। तो जमीन के लिए

कितनी ख्वाहिश होती है इसे आप समझ सकते हैं। इस कानून से तो जितनी अच्छी जमीन है सब छीन ली जायगी। आप जानते हैं कि आपके कर्मचारी जब गांवों में जाते हैं तो वे जाकर जमींदार के यहां टिकते हैं जो उन्हें मुर्गी और घी देते हैं तो उनसे वे पैसे लेकर उन्हें अच्छी जमीन देंगे और गरीब लैंडलेस होते चले जायंगे। मैं माल मंत्री को एक बात सोचने के लिए कहता हूं। जर्मी बेन्थम एक बहुत बड़ा पोलिटिकल और प्रैक्टिकल रिफौर्मर था। उसने अपने एक दोस्त को लिखा था कि—

"The way to be comfortable is to make others comfortable. The way to make others comfortable is to appear to love them. The way to appear to love them is to love them in reality."

हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर कहते हैं कि वे पहले आदमी होंगे कि आदिवासी की जमीन बचायेंगे, अगर उनकी जमीन जायगी। मैं उनसे कहता हूँ कि वे हमारे साथ चलें और चल कर देखें कि हमारी आशाएँ क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे खाते-पीते हैं, हमारे खान-पान का बन्दोबस्त क्या है? इरिगेशन विभाग के मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि बिजली की जगह एक ढिबरी ही मेरे पास रहे लेकिन मेरे खाने-पीने का बन्दोबस्त कर दिया जाय।

श्री राम चरित्र सिंह—इतनी जल्दी-जल्दी आप कहते हैं कि सुनने और समझने में दिक्कत होती है। आहिस्ता आहिस्ता कहें तो सुनने में आसानी होगी।

श्री रामानन्द तिवारी—बिजली तो तेजी से चलती है।

श्री हरमन लकड़ा—मैं यह नहीं कहता हूँ कि बिजली खराब चीज है। इरिगेशन मिनिस्टर अगर चाहें तो नदी-नाला के द्वारा सिंचाई के लिये पानी का बन्दोबस्त कर दें। पहले पानी का बन्दोबस्त करें उसके बाद हमें कहीं भी जमीन दें, एक नम्बर की हो, दो नम्बर की हो या तीन नम्बर की हो, हम हर जगह जमीन लेने को तैयार हैं, लेकिन जब तक इरिगेशन का इन्तजाम नहीं कर देते हैं तब तक जमीन छीनने को तैयार न हों यही मेरा कहना है। आपके अग्रिकल्चरल एक्सपर्ट क्या करेंगे? वे पानी के बगैर अग्रिकल्चर के किसी स्कीम का कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कन्सोलिडेशन खराब चीज है। मैं कहता हूँ कि कंसोलिडेशन अच्छी चीज है लेकिन मेरा यह कहना है कि छोटानागपुर में और संथाल परगना में इस चीज को न लाएं जब तक इरिगेशन का प्रौबलम, सोआयल इरोजन का प्रौबलम आप सौल्भ नहीं कर देते हैं। जंगल को बचाने के लिये आपने कहा कि जंगल का कानून बना रहे हैं लेकिन इस कानून के जरिए आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। इससे आपने आदिवासियों के लाइफ को डिसटर्ब कर दिया है। मैं यह कहता हूँ कि यह दिल से बात निकलती है। मैं यह नहीं कहता कि जंगल को नहीं बचाना चाहिये लेकिन आपलोगों ने एक्सपोलायट किया है। जंगल से तो आपने हटा लिया, इस बार अपनी जमीन से भी हटाने जा रहे हैं। मैं देहाती की तरह बोल रहा हूँ लेकिन फैक्ट्स बोल रहा हूँ। हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर तो डिप्लोमैट हैं और डिप्लोमैट की तरह बात करते हैं। ये अपनी डेप्लोमेसी से अपनी पार्टी का समझा सकते हैं लेकिन यह दलील की बात नहीं है, यह खाने-पीने और जीने की बात है इसलिए मेरा मिनिस्टर साहेब से अनुरोध है कि वे इस बात पर गौर करें और समझें। मैं समझता हूँ कि अभी भी समय है चूंकि वे कहते हैं कि अभी कानून को लागू नहीं करने जा रहे हैं तो

क्यों अभी कानून को पास करते हैं ? मैं फ्रैगमेंटेशन को रोकने के खिलाफ नहीं हूँ, फ्रैगमेंटेशन को रोकें लेकिन छोटानागपुर और संथाल परगना को इस कानून से अलग रखें । इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

That in sub-clause (2) of clause 1 of the Bill the following words be added, namely :—

"except the Chotanagpur Division and the district of Santhal Parganas."

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

"हाँ"

श्री शिव भजन सिंह ।
श्री मुन्द्रिका सिंह ।
श्री रामानन्द तिवारी ।
श्री जमुना प्रसाद सिंह ।
श्री राम अयोध्या प्रसाद ।
श्री रामसेवक शरण ।
श्री दामोदर झा ।
श्री विवेकानन्द गिरि ।
श्री सुखदेव मांझी ।
श्री अंकुरा हो ।
श्री सुरेन्द्र नाथ बिरुआ ।
श्री उजेन्द्र लाल हो ।
श्री हरिपद सिंह ।
श्री कैलास प्रसाद ।
श्री मुकुन्द राम तांती ।
श्री घनीराम संथाल ।

"ना"

श्री तिलधारी महतो ।
श्री रामचरित्र राय यादव ।
श्री नयुनी लाल महतो ।
श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ।
श्री रामनारायण चौधरी ।
श्री जेठा किस्कू ।
श्री बाबू लाल तूदू ।
श्री चुनका हेमब्रोम ।
श्री देवी सोरेन ।
श्री मदन बेसरा ।
श्री विलियम हेमब्रोम ।
श्री जीतू किस्कू ।
श्री जिंगा राम ।
श्री जगन्नाथ महतो, [illegible], कुर्मी
श्री ज्वाहन मुंडा ।
श्री हरमन लकड़ा ।
श्री सुकू ओरांव ।
श्री जुलूस सुरीन ।
श्री लकास मुंडा ।
श्री आलफ्रेड ओरांव ।
श्री हरिचरण मांझी ।
श्री बलिया भगत ।
श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री ।
*माननीय श्री बदरी नाथ वर्म्मा ।
श्री मुंगेरी लाल ।
श्री लाल सिंह त्यागी ।
श्री ताजुद्दीन ।
श्री सैयद मुहम्मद अकील ।
श्रीमती मनोरमा देवी ।
श्री योगेश्वर प्रसाद खलिश ।
श्री रामेश्वर मांझी ।
श्री अम्बिका सिंह ।
श्री गुप्तनाथ सिंह ।
श्री राम नगीना सिंह ।
श्री दुलारचन्द्र राम ।
श्री रामचन्द्र राम ।
श्री अब्दुल गफूर मियां ।
श्री नन्द किशोर नारायण ।
श्री राम बसावन राम ।
श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ।
श्री जगलाल चौधरी ।
श्री राम विनोद सिंह ।
श्री विश्वनाथ सिंह ।
श्रीमती पार्वती देवी ।

---

* मंत्री ।

श्री शिवधारी पांडेय ।
श्रीमती प्रभावती गुप्ता ।
श्री कुलदीपनारायण यादव ।
श्री वृजनन्दन प्रसाद सिंह ।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही ।
श्री वीरचन्द पटेल ।
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ।
श्री सरयुग प्रसाद ।
श्री हरिवंश नारायण सिंह ।
श्री जनक सिंह ।
*माननीय श्री महेश प्रसाद सिंह ।
श्री महावीर राय ।
श्री वालेश्वर राम ।
श्री नरेन्द्र नाथ दास ।
श्री सकूर अहमद ।
*माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह ।
श्री योगेन्द्र महतो ।
*माननीय श्री रामचरित्र सिंह ।
श्री कामता प्रसाद गुप्त ।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह ।
श्री रास बिहारी लाल ।
श्री शीतल प्रसाद भगत ।
श्री लक्ष्मी नारायण "सुधांशु"
*माननीय श्री भोला पासवान ।
श्री मोहिउद्दीन मोख्तार ।
श्रीमती पार्वती देवी ।
*माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ।
श्री आनन्दा प्रसाद चक्रवर्ती ।
श्री रामखेलावन सिंह ।
श्री धनराज शर्मा ।
श्री महावीर प्रसाद ।
श्री रामलखन सिंह यादव ।
श्री केशव प्रसाद ।
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह ।
श्री सैयद मुहम्मद अशीफूर रहमान ।
श्री देवनारायण सिंह ।
श्री ललन सिंह ।
श्रीमती सुमित्रा देवी ।
श्री हेमराज यादव ।
श्री रघुनाथ प्रसाद शाह ।
श्री शिव कुमार पाठक ।
श्री जनार्दन सिंह ।

श्री दारोगा प्रसाद राय ।
श्री केदार पांडेय ।
श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतन्त्र ।
श्री रघुनी बैठा ।
श्री फैजुल रहमान ।
श्री सुदामा मिश्र ।
श्री हरिवंश सहाय ।
श्री राधा पांडेय ।
श्री रामसुन्दर तिवारी ।
मौलवी मशूद ।
श्री व्रज विहारी शर्मा ।
श्री चुल्हाई दुसाध ।
महंथ श्यामनन्दन दास ।
डा० मु० हबीबुर रहमान ।
श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी ।
श्री हरिहर शरण दत्त ।
श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी ।
श्री सुन्दर महतो ।
श्री सईदुल हक ।
श्री हृदय नारायण चौधरी ।
श्रीमती कृष्णा देवी ।
श्री जयनारायण झा 'विनीत'
श्री गजेन्द्र नारायण सिंह ।
श्री देवनारायण यादव ।
श्री योगेश्वर घोष ।
श्री काशीनाथ मिश्र ।
श्री वासुकीनाथ राय ।
श्री भागवत प्रसाद ।
श्री दुर्गा मंडल ।
श्री शाह मुस्ताक साहब ।
श्री मोहन चौधरी ।
श्री शिवव्रत नारायण सिंह ।
श्री महादेव नारायण सिंह ।
श्री द्वारिका प्रसाद ।
श्री गिमाकान्त मंडल ।
श्री मिश्री मुसहर ।
श्री घनश्याम सिंह ।
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल ।
श्री राम जनम महतो ।
श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल ।
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह ।
श्री पीरू मांझी ।

*मंत्री।

श्री मुरली मनोहर प्रसाद ।
श्री अनाथ कान्त वसु ।
श्री मुहम्मद एहसान ।
श्री जिवत्स शर्मा हिमांशु ।
श्री बोकाई मंडल ।
श्री पुण्यानन्द झा ।
श्री मुहम्मद ताहिर ।
श्री कमल देव नारायण सिंह ।
श्री बाबू लाल मांझी ।
श्री विनोदानन्द झा ।
श्री जगदीश नारायण मंडल ।
श्री अवध बिहारी दिक्षित ।
श्री पुनीत राय ।
श्री लक्ष्मण मांझी ।
श्री राम नारायण मंडल ।
श्री बी० दूबे ।
श्री सुखलाल सिंह ।
श्री सोमा भगत ।
श्री भोलानाथ भगत ।
श्री देवचन्द राम पासी ।
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ।
श्री भुवनेश्वर चौबे ।
श्री गिरिजानन्द्रन सिंह ।
श्री राम नारायण शर्मा ।
श्री टीकाराम मांझी ।
श्री शरत मोची ।

पक्ष में ३८, विपक्ष में १३२ ।
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ प्रवर समिति द्वारा यथा प्रस्तावित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

(अंतराल)

Privilege Motion

विशेषाधिकार प्रस्ताव :

गिरिडीह के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा एक सदस्य एवं सदन के विशेषाधिकार का हनन।

BREACH OF PRIVILEGE OF A MEMBER AND THE HOUSE BY THE DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, GIRIDIH.

अध्यक्ष—हमने श्री राम नारायण शर्मा के प्रिभिलेज मोशन पर विचार कर लिया है और इसको यहां लाने की मंजूरी देते हैं।

*Shri **RAM NARAIN SHARMA** : Sir, I beg to ask for leave of the House to raise a question of Breach of Privilege of an Hon'ble Member and the House against the Deputy Superintendent of Police, Giridih for molesting Shri Bindeshwari Dubey, M.L.A., on 7th April, 1956 at 10 P.M. on his way from Bermo Coal field Workers Union office to his residence for his Assembly speeches against the police on 15th of March, 1956.

I beg further to move that the matter be referred to the Committee of Privileges for starting proceedings for the contempt of the Hon'ble Member and the House against the above named officer.